

**अनुदान संख्या 62 - निर्वाचन आयोग**  
**GRANT No. 62-ELECTION COMMISSION**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	1185,00	12,41,00	12,23,48	-17,52
पूरक	Supplementary	56,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,31

(हजार रुपयों में)  
(In thousands of rupees)

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (17.52 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 56.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.17.52 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grant of Rs.56.00 lakhs obtained in March, 2006 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "2015" निर्वाचन	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	1185.00	1237.69	1223.48	-14.21
पू.	S.	56.00			
पु.	R.	-3.31			

(I) 51.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.51.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) शीर्ष "परिसीमन आयोग - स्थापना" के अंतर्गत 118.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 17.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 135.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त/राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा कम बैठकें/दौरे आयोजित किए जाने के कारण 14.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Delimitation Commission - Establishment" - the original provision of Rs.118.00 lakhs was augmented to Rs.135.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.17.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.34 lakhs - due to less meetings/tours undertaken by Chief Election Commissioner/Election Commissioners/State Election Commissioners.